8 जनसत्ता, 27 अवतुबर, 2016

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली, नई दिल्ली में (मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)
कम्पनी याचिका संख्या 2018 का 827
सम्बंधित कम्पनी आदेदन पत्र (एम) संख्या 2016 का 120
कम्पनीज अधिनियम 1958 की झारा 391 से 394 के मामले में और कम्पनीज अधिनियम 1958 की झारा 391 से 394 के मामले में और
इनके बीच में एकीकरण की योजना के मामले में और
भिकार्ड इष्डिया प्राइवेट लिमिटेड
(यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1958 के प्राव्यानों के अधीनस्थ निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय
30, मोहन सिर्ह प्लेस, कर्मेंट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 में स्थित हैं)
रामबोल इष्डिया प्राइवेट लिमिटेड
(यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1958 के प्राव्यानों के अधीनस्थ निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय
30, मोहन सिर्ह प्लेस, कर्मेंट प्लेमिटेड
(यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1958 के प्राव्यानों के अधीनस्थ निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय
30, मोहन सिर्ह प्लेस, कर्मेंट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 में स्थित हैं)

(यह कप्पती कप्पतीन) अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीनस्थ निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय 30, मीहन सिष्ठं प्लेस, कर्नीट प्लेस, नई दिल्ली — 110001 में स्थित हैं)

याचिकाकर्ता-2/हस्तांतरी कम्पनी

याषिकाकर्ता-2 / इस्तांतरी कम्पनी याषिका का विज्ञापन एसदद्वारा स्थित किया जाता है कि 07.08.2016 को उपरोक्त नाम के याधिकाकर्ताओं द्वारा गिर्जिडं इण्डिया प्राइवेट सिमिटेड और शनशेक इण्डिया प्राइवेट सिमिटेड और इनके एकीकरण की योजना हेतु माननीय उच्च न्यायालय दिल्ही की मंजूरी प्रारत करने के लिए कम्पनीज अधिनियम 1956 की धाराओं 391 से 394, के अधिनस्थ एक याधिका प्रस्तुत की गई थी और 09.09.2016 को स्वीकार की गई थी और किएत याधिका 06.03.2017 को प्रांत 10.30 बजे माननीय कम्पनी ज्यायधीश के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित हैं। यदि कोई व्यक्ति याधिका के सहयोग अथवा विरोध हेतू इच्छुक है तो वह अपनी इच्छा रतंय के द्वारा अथवा अपने अधिवक्ता के द्वारा इस्ताक्षरित अपने नाम तथा पते के साथ पूचना प्रेषित करें। जो कि याधिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के पास याधिका की सुनवाई हेतू निर्धारित तिथि से कम से कम 5 दिन से ज्यादा विलम्ब से नहीं पुडुचना चाहिर यदि वह याधिका के प्रतियाद हेतू इच्छुक है तो विरोध के आधारों अथवा शरप्यपत्र के एक प्रति इस प्रकार की सुचना के साथ प्रस्तुत करनी होगी। याधिका की एक प्रति किसी भी व्यक्ति के द्वारा मांगे जाने पर अधोडस्ताशी द्वारा उक्त के लिए निर्धारित शांशि का भुगतान करने पर उक्त के लिये आवश्यक किसी व्यक्ति को प्रस्तुत के इस्ताक्षर इस्ताक के इस्ताक्तर के इस्ताक्षर इ

दिनांकः 23:09.2016 स्थानः नई दिल्ली

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर महेश क्षप्रदात / राजीव कुमार याचिकाकर्ता कम्पनीयो के अधिवदता 34, बाबर लेन, पहला तल, बंगाली मर्किट, नई हिल्ली—110001 'फोन न;—23354330 / 23738122

IN THE HIGH COURT OF DELHII AT NEW DELHI
(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)
COMPANY PETITION NO. 827 OF 2016
CONNECTED WITH
COMPANY APPLICATION (M) NO. 120 OF 2016
In the matter of Companies Act, 1956
And in the matter of Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956
AND
In the matter of Sections of Arrangement
Between
Gifford India Private Limited, A Company Incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its Registered Office at 30, Mohan
Singh Place, Connaught Place, New Delhi-110 001
Petitioner-1/Transferor Company
And

And
Ramboll India Private Limited, A Company Incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its Registered Office at 30, Mohan Singh Piace, Connaught Piace, New Delhi-110 001
Petitioner-2/Transfer

NOTICE OF PETITION

A notice is hereby given that a Petition under Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1955, for approval of the Scheme of Arrangement between Gifford india Private Limited and Ramboli India Private Limited was presented by the Petitioners on 07.99.2016 and was admitted on 09.09.2016 and the said Petition has now been fixed for hearing before the Hon'bis Company Judge on 06.03.2017 at 10.30 a.m. Any person desirous to supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioners' Advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the Petitioners' Advocate not later than 5 (five) days before the data fixed for the hearing of the Petition. Where he seeks to appose the Petition, the grounds of opposition or a copy of the affidavit should be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Place: New Delhi Date: 23.09.2016

Sdr- Sd/-Mahesh Agarwal/Rejeev Kumar Advocate (sr the Petitioners 34, Babar Lano, First Floor, Bergall Markot, New Dalhi-110001, Phone No-23354330/23738122

\$~56

* IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

+ CO.PET. 827/2016

IN THE MATTER OF GIFFORD INDIA PRIVATE LIMITED

..... Petitioner

Through: Mr. Rajeev Kumar, Adv.

Ms. Aparna Mudiam, AROC for RD Mr. Manish K. Bishnoi, Adv. for OL

CORAM:

HON'BLE MR. JUSTICE R.K.GAUBA

ORDER 09.09.2016

%

- 1. Issue notice to the RD/ROC and the OL.
- 2. Mr Manish K. Bishnoi, Advocate accepts notice on behalf of the OL, while Ms Aparna Mudiam, Asstt. ROC accepts notice on behalf of the RD/ROC.
- 3. Learned counsel for the petitioners will supply copies of the paper book both to the RD/ROC and the OL. Reply/report be filed within six weeks. Rejoinder thereto, if any, be filed before the next date of hearing.
- 4. The petitioners will publish the notice of hearing in the Business Standard [(in English), Delhi Edition] and the *Jansatta* [(in Hindi), Delhi Edition]. Notice of hearing will also be uploaded on the website of the petitioners as also on the websites of the OL and the Ministry of Corporate Affairs. For this purpose, the petitioners will supply a copy of the advertisement to be published to the RD/ROC and the OL.
- 5. Renotify on 6th March, 2017.

R.K.GAUBA, J.

SEPTEMBER 09, 2016 vk